



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3122]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2016/पौष 9, 1938

No. 3122]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2016/PAUSA 9, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4251(अ).—केन्द्रीय सरकार, विनिर्दिष्ट बैंक नोट (उत्तरदायित्व का समाप्त होना) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश सं. 10) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (i) के साथ पठित धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अध्यादेश की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट भारत के नागरिक के संबंध में,—

(क) जो भारत में निवासी है, 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि; और

(ख) जो भारत में निवासी नहीं है, 30 जून, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि;

उक्त अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए अनुग्रह अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है:

परंतु प्रस्तुत विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की रकम, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के उपबंधों के अधीन बनाए गए विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) विनियम, 2015 [अधिसूचना सं. एफ.ई.एम.ए. 6 (आर)/आरबी-2015, तारीख 29 दिसम्बर, 2015] के विनियम 3 या विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी और उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया गया है।

[फा. सं. 10/03/2016-सीवाई.1]

डॉ. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2016

S.O. 4251(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 2, read with clause (i) of sub-section (1) of section 4, of the Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Ordinance, 2016 (Ord. 10 of 2016), the Central Government hereby specifies, in respect of a citizen of India, referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 4 of the said Ordinance,—

- (a) who is a resident in India, the period ending on the 31st day of March, 2017; and
- (b) who is not resident in India, the period ending on the 30th day of June, 2017,

as the grace period for the purposes of the said Ordinance:

Provided that the amount of specified bank notes tendered does not exceed the amount specified under regulation 3 or regulation 8 of the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) Regulations, 2015 [Notification No. FEMA 6 (R)/RB-2015, dated the 29th December, 2015] made under the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and the conditions specified therein are complied with.

[F. No. 10/03/2016-Cy. I]

Dr. SAURABH GARG, Jt. Secy.